94

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

III/निग०/सतना/भू.रा०/2017/1948

1. केशव प्रसाद पिता स्व. श्री रामाश्रय ब्रा0

2. रामकृष्ण पिता स्व. श्री रामाश्रय ब्रा0

3. दयानन्द पिता स्व. श्री नर्वदा प्रसाद

4. रामानन्द पिता स्व. श्री नर्वदा प्रसाद,

सभी निवासी ग्राम रुगबा खूंथी टोला, तह. अमरपाटन, जिला सतना, म0प्र0

हाल निवासी ग्राम बांसा, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0

.... निगरानीकर्तागण

आवेदक की ओर से श्री रामानंद पाण्डेय एड. द्वारा पेश/28.6.17

28.6.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

सन्तोष कुमार तनय स्व. श्री रामनरेश ब्रा0, साकिन ग्राम रुगबा खूंथी टोला, तहसील अमरपाटन, जिला सतना, म0प्र0, हाल पता संतोष कुमार द्विवेदी तनय रामनरेश द्विवेदी द्वारा मोतीलाल द्वेवेदी, ग्राम/पोस्ट पड़रा, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0

.... गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग, रीवा, म0प्र0 के अपील प्रकरण क्र. 1339/अपील/2015–16 उन्मान केशव प्रसाद वगैरह बनाम संतोष कुमार में पारित आदेश दिनांक 30.05.2017 के विरुद्ध।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

जार प्रमाणि–

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–तीन/निग./17/1948 जिला– रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.05.18	आवेदक अधिवक्ता श्री सतानन्द पाण्डेय उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0 प्र0 के प्रकरण कमांक 1339/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 30.05.17 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक केशव प्रसाद आदि ने नामांकन पंजी क्र. 71 आदेश दिनांक 29.03.76 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अमर पाटन के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्र0 क्र0 83/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 28.07.16 द्वारा 38 वर्ष 10 माह के लगभग विलंब से होने के कारण निरस्त की गई। इससे दुखित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्र0 क्र0 1339/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 30.05.17 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक स्थिर रखते हुए अपील खारिज की है। इससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता के प्रकरण में तर्क सुने तथा प्रकरण में	

सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अमर पाटन के न्यायालय में नामातंरण पंजी क0 71 में पारित आदेश दिनांक 29.03.76 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जो 38 वर्ष 10 माह के विलंब से प्रस्तुत होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त अपील निरस्त की। आवेदक का यह कहना मानने योग्य नहीं है कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक से मिलकर चोरी छिपे उपरोक्त जमीनों का कपटपूर्वक नामांतरण अपने नाम करा लिया गया है। क्योंकि इतने अंतराल के बाद नामांतरण की जानकारी होना भी मानने योग्य नहीं है। आवेदक का यह भी कहना है कि नामातंरण पंजी में उनके पिता के हस्ताक्षर नहीं हैं। जो हस्ताक्षर बने है वह राजस्व निरीक्षक से मिलकर बनाये गये हैं। अगर आवेदक को ऐसा प्रतीत होता तो वह इस संबंध में राजस्व अधिकारियों से मिलकर चाहते तो संबंधित के विरूद्ध एफ. आई. आर. दर्ज कराते। आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया था उसमें दिन–प्रतिदिन की जानकारी विलंब के संबंध में नहीं दर्शाई गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकरण 39 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत करने का कोई ठोस आधार एवं कारण नहीं बताया गया इससे स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवधि बाह्य मानकर पारित किये जाने

में कहीं कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इससे अपर आयुक्त रीवा द्वारा उनका आदेश स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखने योग्य है।

3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1339/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.05.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य